

कार्यालय वन वृत्त रीवा (म.प्र.)

जयंती कुन्ज वन विश्राम गृह के पास, सेंट्रल स्कूल मार्ग रीवा
Ph-242098, E-mail- ccf.rwa@mp.gov.in,

क्रमांक/मा0चि0/ 3376
प्रति,

रीवा/दिनांक 31-03-17

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध)

सतपुडा भवन भोपाल म0प्र0

विषय:- सिंगरौली जिले में एन.सी.एल.की दुधीचुआ ओपन कास्ट माईनिंग हेतु 467.809 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तित करने बावत्।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/एफ-1/584 दिनांक 25.02.2017

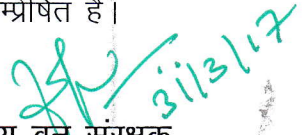
—0—

उपरोक्त विषयांकित सन्दर्भित पत्र के संबंध में निवेदन है कि सिंगरौली जिले में एन.सी.एल.की दुधीचुआ ओपन कास्ट माईनिंग हेतु 467.809 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तित करने बावत् प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति रोपण हेतु संलग्न की गई 23 KML फाईल में से 9 KML फाईल के संबंध में उठाई गई आपत्ति की पूर्ति वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सिंगरौली द्वारा की जाकर संदर्भित पत्र क्रमांक/मा0चि0/858 दिनांक 22.03.2017 से इस कार्यालय की ओर भेजा गया है जो निम्नानुसार है:-

क्र0	स्थल अनुक्रमांक	कक्ष क्रमांक	संदर्भित पत्र से दर्शाई गई कमियों का विवरण	स्थल सत्यापन के बाद पुनरीक्षित / निराकरण		
				कक्ष क्रमांक	रकबा हे0में	निराकरण अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	2	804	कुछ भाग में घना वन है, तथा कुछ भाग में खेती दिखाई दे रही है।	765	25	पूर्व में कक्ष क्र0804 में वृक्षारोपण प्रस्तावित था। जिसमें अन्य मद से वृक्षारोपण किया जा चुका है। इसीलिए अन्य स्थल परिवर्तित कर नया कक्ष क्र0765 में वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित किया गया है। नई प्रोजेक्ट रिपोर्ट पृथक से प्रेषित की जाएगी।
2	3	877	कुछ भाग में घना वन है।	877	25	क्षेत्र में झाड़ियां होने से घना जंगल दिख रहा है। प्रस्तावित स्थल के अंदर कुछ भाग में अतिक्रमण है जो वनाधिकार हेतु अप्राप्त है उन्हें बेदखल कर वृक्षारोपण कार्य किया जावेगा।
3	4	746	कुछ भाग में खेती दिखाई दे रही है।	746	25	कुछ भाग में अतिक्रमण है जो वनाधिकार हेतु अप्राप्त है उन्हें बेदखल कर वृक्षारोपण कार्य किया जावेगा।
4	5	17	ऊपरी भाग में घना वन है।	17	20	क्षेत्र में झाड़ी, झंखाड व विरल वृक्ष होने से घना जंगल जैसा दिख रहा है। जबकि क्षेत्र रोपण योग्य है।
5	8	399	कुछ भाग में घना वन	399	50	क्षेत्र में लेन्टाना एवं वनतुलसा व

			है, तथा कुछ भाग में खेती दिखाई दे रही है।			नकाविल झाड़ियां होने से घना जंगल एवं खेती जैसा दिखता है। जबकि क्षेत्र रोपण योग्य है।
6	9	287	कुछ भाग में खेती दिखाई दे रही है।	287	40	क्षेत्र में वनतुलसा व झाड़ियां होने से घना जंगल एवं खेती जैसा दिखता है। जबकि क्षेत्र रोपण योग्य है। कुछ भाग में अतिक्रमण है जो वनाधिकार हेतु अप्राप्त है उन्हें बेदखल कर वृक्षारोपण कार्य किया जावेगा।
7	10	402	कुछ भाग में घना वन है।	402	35	क्षेत्र में वनतुलसा एवं लेन्टाना व झाड़ी झंखाड होने से घना जंगल जैसा दिख रहा है। जबकि क्षेत्र रोपण योग्य है।
8	12	187	अतिक्रमण दिखाई दे रहा है।	187	50	प्रस्तावित स्थल के अंदर कुछ भाग में अतिक्रमण है जो कि वनाधिकार हेतु अप्राप्त है उन्हें बेदखल कर वृक्षारोपण कार्य किया जावेगा।
9	17	772	कुछ भाग में घना वन है।	772	20	क्षेत्र में झाड़ी झंखाड होने से घना जंगल जैसा दिख रहा है। जबकि क्षेत्र रोपण योग्य है।

अतः आपकी ओर वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सिंगरौली द्वारा आपत्ति पूर्ति पश्चात प्राप्त पालन प्रतिवेदन अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


 मुख्य वन संरक्षक
 रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)

पृष्ठा0क्रमांक/मा0चि0/
प्रतिलिपि:-

रीवा/दिनांक

- 1- वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सिंगरौली की ओर उनके पत्र क्रमांक/मा0चि0/858 दिनांक 22.03.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
- 2- महाप्रबंधक दुधौचुआ परियोजना, नार्दन कोलफिल्डस लिमिटेड, पोस्ट खडिया जिला सोनभद्र उ0प्र0 की ओर सूचनार्थ।

मुख्य वन संरक्षक
 रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)